

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आईटी भवन, योजना भवन परिसर, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक F3(72)doc/Actt/Part IV /ML-2332/2021

जयपुर, दिनांक:- 08/04/2021

समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी गण
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
मुख्यालय, जयपुर

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में।

उपर्युक्त विषयांतर्गत श्रीमान अतिरिक्त निदेशक, सामान्य प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र 803 दिनांक 05.04.2021 के बिन्दु संख्या 04 द्वारा समस्त अधिकारीओं/कर्मचारियों के द्वारा उनके व्यक्तिगत एसआईपीएफ पोर्टल पर दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदत्त प्रीमियम दरों में से किसी एक दर का चुनाव करना आवश्यक है। अतएव आप सभी दिनांक 20.04.2021 तक आवश्यक रूप से उक्त दर का चयन करें, ताकि माह अप्रैल 2021 का वेतन भुगतान की कार्यवाही की जा सके। उक्त दुर्घटना बीमा योजना में दर का चयन न करने पर माह अप्रैल 2021 का वेतन आहरण नहीं किया जा सकेगा, जिसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।


एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एवं
आहरण वितरण अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- ✓ प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट)
- नोटिस बोर्ड।
- रक्षित पत्रावली।


एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एवं
आहरण वितरण अधिकारी